न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 25/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 16.02.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/59

सुरेश प्रजापत पुत्र श्री चन्दरू उर्फ चन्द्राराम प्रजापत जाति प्रजापत निवासी गिरी तहसील रायपुर
—: वादी

—:बनाम:—

1. सुन्दरी पत्नि श्री चन्दरू उर्फ चन्द्राराम प्रजापत
2. धर्माराम पुत्र श्री चन्दरू उर्फ चन्द्राराम प्रजापत
   जाति प्रजापत निवासी गिरी तहसील रायपुर
3. तहसीलदार रायपुर

—: प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण
2 श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 28.07.2022

वादीगण की ओर से वकील श्री भवानीसिंह सोलंकी द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा लौहारो का बाडीया व खोंखरी, पटवार हल्का गिरी भू. अभिलेख निरिक्षक गिरी तहसील रायपुर जिला पाली (राज) में निम्न वर्णीत आराजी स्थित हैं।

(क) सरहद मौजा लौहारो का बाडीया में इस प्रकार है :—

खाता संख्या नया	खाता संख्या पुराना	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर	किस्म
193	187	308	0.4937	बारानी दोयम

कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.4937 हैक्टयर

(क) सरहद मौजा खोखरी में इस प्रकार है :—

खाता संख्या नया	खाता संख्या पुराना	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर	किस्म
154	146	1424	0.5504	बारानी दोयम
		1425	0.5666	बारानी दोयम

कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.4937 हैक्टयर

उपरोंक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2073—2076 वाद पत्र के साथ पेश है, जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावे। खातेदारी जमीन में वादी का हक व हिस्सा आता है, तथा वादी का नाम

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, वादी रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है, लेकिन राजस्व रेकर्ड के खाते मे वादी का नाम वादी के पिता के फौतेदगी नामान्तरण संख्या 1289 करते समय वादी का घर का बोलता नाम पुखराज दन्द्राज हो गया, यह नाम राजस्व अधिकारीयो को दी गई आसपडोस के व्यक्तियो द्वारा दी गई गलत सुचना से गलत नाम दर्ज कर दिया गया है, वादी का सही नाम सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम प्रजापत है, किन्तु छोटे गांव में जन्म लेने व बडे होने पर गांव के निवासीयो ने लाड से पुखराज पुकारते थे, जिस कारण से राजस्व रेकर्ड में सुरेश प्रजापत के स्थान पर पुखराज पुत्र चन्दरू दर्ज हो गया, जबकि वादी का सही नाम सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम प्रजापत है, जिसके राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैक पास बुक, श्रमकार्ड, वाहन चालक अनुज्ञा पत्र, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, दसवी अंक तालिका में सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम है, जो नामान्तरण सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम के नाम से भरा जाना चाहीये था, लेकिन राजस्व रेकर्ड मे लिपिकिय भूल से, गलत सुचना मिलने के कारण नामान्तरण भरते समय वादी का नाम पुखराज पुत्र चन्दरू दर्ज कर दिया है। वादी को दिनांक 03/02/2022 कों बैक ऋण की आवश्यकता होने पर बैक जाने पर अपना नाम गलत दर्ज होने का पता चला। तब वादी ने पटवारी महोदय से सम्पर्क किया, तथा संशोधन करवाने का निवेंदन किया, तो उन्होनें न्यायालय की शरण मे जाने वहा वाद पत्र पेश कर आदेश लाकर देने का कहने पर यह वाद पेश किया जा रहा है, इसलिए वादी राजस्व रेकर्ड में पुखराज पुत्र चन्दरू के स्थान पर सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम प्रजापत संशोधन करवाने का अधिकारी है, इसलिए यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी अपने हक हिस्से पर मौके पर काबिज है, तथा अपने हक हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के आज दिन तक करता आ रहा है, तथा वादी ने अपने हक हिस्से की जमीन को उपजाउ बनाया है अगर वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादी का नाम गलत इन्द्राज रहता है तो वादी को बैक से ऋण लेने व सरकार से मिलने वाले कृषि भूमि के फायदे नही ले पायेगा जिससे वादी को असिम क्षति व भारी नुसान होगा व वादी को अपने हक व अधिकार से वंचित होना पडेगा। वादी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प पेश नही होने से वादी अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद राजस्व रेकर्ड में पूखराज पुत्र चन्दरू के स्थान पर सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम संशोधन करवाकर अपने नाम की घोषणा करवाने हेतु माननीय न्यायालय में पेश कर रहा है। बिनायदावा दिनॉक 03/02/2022 को वादी द्वारा बैक से ऋण के लिए बैक जाने पर उक्त गलती की जानकारी होने व पटवारी महोदय से सम्पर्क करने पर पटवारी महोदय द्वारा राजस्व रेकर्ड में सुधार करवाने हेतु न्यायालय में जाने के कारण बमुकाम गिरी पटवार हल्का गिरी तहसील रायपुर जिला पाली मे पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने के वाद अन्दर म्याद पेश है। डिकि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वादके पद संख्या 1 में वर्णीत सरहद मौजा लौहारो का बाडिया के खसरा संख्या 308 रकबा 0.4937 है. किस्म बारानी दोयम, सरहद मौजा खोखरी के खसरा संख्या 1424, 1425 रकबा 1.1170 है. किस्म बारानी दोयम की आराजी के राजस्व रेकर्ड मे सहवण व गलती से सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम के स्थान पर पुखराज पुत्र चन्दरू दर्ज कर दिया है, इसलिए राजस्व रेकर्ड मे दर्ज पुखराज पुत्र चन्दरू के स्थान पर सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम संशोधन करने के आदेश फरमाकर वादी को सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम के नाम से

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

खातेदार काश्तकार घोशित फरमाया जावें। जिससे वादी बैक से ऋण लेने एवं काश्तकारी जमीन से मिलने वाले अन्य लाभ ले सके ।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने वकालतनामा पेश किया, जो शा.मि. किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता अपना जबाव नहीं देना चाहते है एवं बहस करना चाहते हैं। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम पुखराज पुत्र चन्दरू हैं लेकिन सभी सरकारी दस्तावेजों में इनका नाम सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम हैं। अतः सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम नाम, जमाबंदी में दर्ज करने हेतु निवेदन किया हैं। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की है।

वकुलाय से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान दिये गये तर्को एंव पत्रावली पर पेश दस्तावेजो का गहनता पूर्वक अवलोकन एंव मनन करने पर सरहद मौजा लौहारो का बाडिया पटवार हल्का गिरी के खसरा संख्या 308 तथा सरहद मौजा खोखरी पटवार हल्का गिरी के खसरा संख्या 1424, 1425 के राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम पुखराज पुत्र चन्दरू के स्थान पर सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा लौहारो का बाडिया पटवार हल्का गिरी के खसरा संख्या 308 तथा सरहद मौजा खोखरी पटवार हल्का गिरी के खसरा संख्या 1424, 1425 के राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम पुखराज पुत्र चन्दरू के स्थान पर सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।.

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी * रायपुर (पाली) *

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायकल कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला पाली
बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

सुरेश प्रजापत पुत्र श्री चन्दरू उर्फ चन्द्राराम प्रजापत जाति प्रजापत निवासी गिरी तहसील रायपुर
–: वादी

–:बनाम:–

1. सुन्दरी पत्नि श्री चन्दरू उर्फ चन्द्राराम प्रजापत
2. धर्माराम पुत्र श्री चन्दरू उर्फ चन्द्राराम प्रजापत
जाति प्रजापत निवासी गिरी तहसील रायपुर
3. तहसीलदार रायपुर –: प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद संख्या 25/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भवानी सिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा लौहारो का बाडिया पटवार हल्का गिरी के खसरा संख्या 308 तथा सरहद मौजा खोखरी पटवार हल्का गिरी के खसरा संख्या 1424, 1425 के राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम पुखराज पुत्र चन्दरू के स्थान पर सुरेश प्रजापत पुत्र चन्दरू उर्फ चन्द्राराम नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

नीज......................×.................मुबलिक...............×..............बाबत्.............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×.........................को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	02	00	स्टाम्प वकालतनामा –	02	00
स्टाम्प वकालतनामा –	02	00	स्टाम्प हाजरी –	00	00
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमिश्नर –		
फीस कमिश्नर –			बाबत इजराय हुक्मनामा –		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक –	00	00
मुतफरिक –	3	00	मीजान	02	00
मीजान	7	00			

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।